कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय कोरबा
जिला-कोरबा(छ0ग0)
मो.नं.–94255–47200, ई–मेल:gevpg1981@gmail.com,
वेबसाईट– www.gevpgkrb.ac.in, AISHE Code- C-22398

क्रमांक / / छात्रवृत्ति / 2022 / कोरबा, दिनांक /08 / 2022

## !! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना !!

महाविद्यालय के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस सत्र 2022–23 के लिये छ.ग. राज्य के छात्रवृत्ति का पोर्टल में जाकर उपरोक्त Catagory के छात्र–छात्रायें अपना ऑनलाईन फार्म सावधानीपूर्वक भेरेंगे तथा निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अपना ऑनलाईन फार्म महाविद्यालय के इग्नू कक्ष में आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करेंगें। आनलाईन फार्म जमा करने की तिथि 30.09.2022 तक भर सकेगें।

01. छात्र–छात्रायें राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल में अपनी समस्त जानकारी सही–सही भरेगें, फार्म सबमिट करने के पूर्व अपनी जानकारी का अवलोकन करने के पश्चात ही सबमिट करेगें।
02. छात्र–छात्रायें ऑनलाईन फार्म की हार्डकापी संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य है।
03. एक पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के हार्डकापी में चस्पा कर क्रास सिग्नेचर होना अनिवार्य है।
04. 10वी / 12वी / पिछली कक्षा उत्तीर्ण **Certificate, Diploma, Degree** इत्यादि के छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
05. जाति प्रमाण पत्र स्थायी (अस्थायी की स्थिति में जीवित होना चाहिए) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए।
06. स्व–नियोजित माता–पिता / अभिभावक द्वारा एक घोषणा , गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामें के माध्यम से सभी स्त्रोतो से निश्चित आय बताते हुये। नियाजित माता / पिता / अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और अन्य स्त्रोतो से किसी भी अतिरिक्त आय के लिए, वे गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
07. दिनांक 30.09.2022 के पश्चात छात्रवृत्ति ऑनलाईन फार्म प्राप्त होने पर कोई विचार नही किया जायेगा।

टीप :– 01 पूर्व में जारी विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को National Scholarship Portal पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन किया जाना है। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा National Scholarship Portal पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।

02 / वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का भुगतान ~~छ्डे~~ PEMS के माध्यम से किया जा रहा है। ~~छ्डे~~ PEMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की प्रवृष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. आर. के. सक्सेना)
प्राचार्य
शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा
जिला-कोरबा(छ0ग0)
मो. नं. – 94255–47200, ई–मेलः gevpg1981@gmail.com www.gevpgkrb.ac.in

पत्र क्रमांक/ /स्था./2022/कोरबा, दिनांक

# // सूचना//

महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वी से उच्चतर) के पंजीयन एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है। जिले में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नही होने के फलस्वरुप तिथि में वृद्धि की गई है जो निम्नानुसार है–

| क्र. | प्रक्रिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण) | दिनांक 16.08.2022 से 30.09.2022 तक |
| 2 | संस्था द्वारा Draft Poposal Lock करने हेतु | दिनांक 16.08.2022 से 10.10.2022 तक |
| 3 | संस्था द्वारा Sanction Order Lock करने हेतु | दिनांक 16.08.2022 से 20.10.2022 तक |

(डॉ. आर. के. सक्सेना)
प्राचार्य,
शासकीय इं.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

## //प्रेस विज्ञप्ति//

**वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति**

**(तिथि वृद्धि की सूचना)**

कोरबा जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक, आई.टी.आई एवं डाइट आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनालाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है। जिले में संचालित कुछ पाठ्क्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की गई है।

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित कर समय–सीमा में वृद्धि की गई है :–

| क्र0 | प्रक्रिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1. | विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण) | दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक |
| 2. | संस्था द्वारा Draft Poposal Lock करने हेतु | दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 10.10.2022 तक |
| 3. | संस्था द्वारा Sanction Order Lock करने हेतु | दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 20.10.2022 तक |

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022–23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock तथा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. पूर्व में जारी विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को National Scholarship Portal पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन किया जाना है। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा National Scholarship Portal पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को भी पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।
2. वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने समय आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा,
# जिला–कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छात्र./विविध/2022–23/2537 कोरबा दिनांक 19/7/2022

प्रति,

सर्व प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, कृषि, आई.टी.आई, डाईट, पॉलिटेक्निक, आई.टी., सीपेट
जिला–कोरबा, (छ0ग0)

**विषय :–** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में।

**संदर्भ :–** 01. महालेखाकार (ऑडिट), रायपुर छ0ग0 का मेमो क्रमांक–27 दिनांक 30.10.2021।
02. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/पो.मै.छा./101/2022–23/3090 दिनांक 04.07.2022

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित मेमों के माध्यम से छ0ग0 राज्य के आवेदक जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन के माध्यम से करते है, जिसमें कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने हेतु महालेखाकार द्वारा सुझाव दिये गये है, जो निम्नानुसार है :–

01. आवेदक द्वारा भरे गये ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी (Printed Form) संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य है।
02. एक पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के हार्ड कॉपी में चस्पा कर क्रौस सिग्नेचर होना अनिवार्य है।
03. 10वी/12वी/पिछली कक्षा उत्तीर्ण Certificate, Diploma, Degree इत्यादि के छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
04. जाति प्रमाण पत्र स्थायी (अस्थायी की स्थिति में जीवित होना चाहिए) अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए।
05. स्व–नियोजित माता–पिता/अभिभावक द्वारा एक आय घोषणा, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामे के माध्यम से सभी स्त्रोतों से निश्चित आय बताते हुए। नियोजित माता/पिता/अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और अन्य स्त्रोतों से किसी भी अतिरिक्त आय के लिए, वे गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

अतः पूर्व वर्षो की प्रक्रिया के साथ–साथ उपरोक्त सुझावों का भी पालन करना सुनिश्चित करें।

19/7/22

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा

प्रभारी छात्रवृत्ति
17/8

स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.)